निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 924) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–21 / 2026–6306 / लेज।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

[बिहार अधिनियम 21, 2026]

बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2026

बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम (बिहार अधिनियम 23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–
   (1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–17 में संशोधन।**–उक्त अधिनियम की धारा–17 के पश्चात् नयी उप–धारा (क) निम्नवत् जोड़ी जाती हैः–

   ''17(क) इस अधिनियम के अधीन दायर की गयी प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन तथा पुनरीक्षण के आवेदन पर 200/– शुल्क लिया जाएगा। उक्त शुल्क को राज्य सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है।''

बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०–01–21/2026–**6307/लेज**––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमत **बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 21, 2026)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

[Bihar Act 21, 2026]

The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2026

AN

ACT

to amend the Bihar Land Mutation Act, 2011 (Bihar Act 23 of 2011)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy- seventh year of the Republic of India as follows: -

1. ***Short title, extent and commencement.-***
   (1) This act may be called the Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2026.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force from such date as notified by the State Government in the Official Gazette.

2. ***Amendment in section-17 of the Bihar Act 23, 2011.-***––After section-17 of the said Act, a new sub-section-(a) is added as following.-

   "17(a) There shall be charged a fee of 200/- for every petition memorandum of appeal and application for revision filed under the Act. The said fee may be revised from time to time by the State Government by a special or general order."

BASNO SHANKER MEHROTRA,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 924-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in